# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

**अपील संख्या – 590/2012/भीलवाड़ा**

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त–बी, भीलवाड़ा। .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स एस.आर.एसोसियेटस,
भीलवाड़ा। ....प्रत्यर्थी.

**खण्डपीठ**
**श्री जे.आर.लोहिया – सदस्य**
**श्री अमर सिंह –सदस्य**

**उपस्थित : :**
श्री एन.एस.राठौड़,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री ओ.पी.दौसाया,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 07/04/2014**

**निर्णय**

1. यह अपील विभाग द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 180/वेट/2010–11 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 12.10.2011 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को बजरी पर कर संग्रहण का ठेका दिया हुआ था। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 15.06.2009 से 09.08.2009 तक के लिए वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–बी, भीलवाड़ा (जिसे आगे **''कर निर्धारण अधिकारी''** कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 77(5) के तहत कर निर्धारण दिनांक 02.08.2010 को पारित किया जाकर मांग रूपये 26,19,720/– कायम की गयी। उक्त मांग के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने अपील आदेश दिनांक 12.10.2011 से प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील को स्वीकार कर प्रकरण को पुनः जांच कर आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया है। उक्त प्रतिप्रेषित आदेश के विरूद्ध विभाग द्वारा यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 11.10.2013 प्रस्तुत करते हुए, प्रारम्भिक ऐतराज किया है कि अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 12.10.2011 के प्रतिप्रेषण आदेश के विरूद्ध कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 11.10.2013 को आदेश पारित कर दिया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 02.08.2010 द्वारा पारित मांग राशि स्वतः ही समाप्त हो चुकी है। अतः उक्त अपील सारहीन होने से निरस्त की जाये।

लगातार.....2

5. अपीलार्थी की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री एन.एस.राठौड़ ने इस पर कोई ऐतराज जाहिर नहीं किया।

6. हमने दोनों पक्षों की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। यह सही है कि कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी के दिनांक 15.06.2009 से 09.08.2009 (वर्ष 2009–10) का कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.08.2010 को अधिनियम की धारा 77(5) के अन्तर्गत पारित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध रूपये 26,19,720/– की मांग कायम की। कर निर्धारण अधिकारी के इस आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 12.10.2011 के द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार कर प्रकरण को कतिपय निर्देशों के साथ पुनः कर निर्धारण अधिकारी को, कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषित किया है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलीय अधिकारी के इस प्रतिप्रेषण आदेश के संबंध में निर्देशानुसार जांच कर पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 11.10.2013 पारित कर दिया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश दिनांक 02.08.2010 स्वतः ही समाप्त हो चुका है। अतः उक्त अपील सारहीन (Infructuous) हो जाने से प्रश्नगत अपील खारिज की जाती है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

7-4-14

( अमर सिंह )
सदस्य

( जे.आर.लोहिया )
सदस्य
07/04/14